

02.05.2024

पत्रावली आज भेजा हुआ। प्रार्थी के अधिवक्ता
स्वयं प्रार्थी को इस न्यायालय द्वारा तीन-तीन
बार आवान लगवाई गई, लेकिन प्रार्थी के
अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए स्वयं न ही प्रार्थी
स्वयं उपस्थित हुआ। अतः प्रार्थी की यह
प्रार्थना का अदम्य हानिरी स्वयं अदम्य पैरवी
में खारिज किया जा रहा है। निर्णय सारे खजाने
मुताया गया। पत्रावली फैसल सुनार लेकर
नम्बर से उम है।

(शुभम चहियारी)
जिला कलेक्टर, सिराही

